केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/138 दिनांक: 19 .04.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00132

अपीलकर्ता : श्री विनोद बिजूभाई चावड़ा,
कमरा सं. 195, सेक्टर – 6,
गणेश नगर, गांधी धाम (कच्छ),
गुजरात – 370201.

निर्णय की तारीख: 19.04.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.02.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	सूचना प्रदान नहीं की गई
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	---
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.03.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	123559/10.04.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	158/13.04.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग में दाखिल की गई अपनी तीन द्वितीय अपीलों से संबंधित सूचनाएं मांगी थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका तथा आयोग के ऑनलाइन डाक प्रबंधन प्रणाली से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन आयोग में प्राप्त हुआ है या नहीं । अतः श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पांच कार्यदिवसों के अंदर यह सुनिश्चित करें कि अपीलकर्ता का दिनांक 13.02.2017 का आर.टी.आई. आवेदन आयोग में प्राप्त हुआ है या नहीं, यदि प्राप्त हुआ है तो यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाए ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती पुष्पा जनार्दनन, डाक अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

19/4/17 Time 5:30

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
19 APR 2017
Initials: